प्रेस विज्ञप्ति

18/02/2025

वर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब राज्य जल संसाधन के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंगला के खिलाफ आय से अधिक संपत्तियों से संबंधित जांच में 17/02/2025 को 3.61 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत सतर्कता ब्यूरो, बठिंडा द्वारा कैलाश कुमार सिंगला के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि जांच अवधि (01.01.2012 - 10.01.2017) के दौरान, के. के. सिंगला और उनके परिवार की आय केवल 1.57 करोड़ रुपये थी, लेकिन उन्होंने 4.21 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिससे 2.64 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति की पहचान हुई।

ईडी की जांच से पता चला है कि के.के. सिंगला ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, तथा अचल संपत्ति की खरीद, अपने नाम पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर आवधिक/सावधि जमा खोलने के रूप में विभिन्न निवेशों के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को सफेद किया है, जो मुख्य रूप से नकद जमा के माध्यम से प्राप्त किया गया था।

आगे की जांच जारी है।